न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 63 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी ठेहट तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र जाट वकील प्रार्थी की ओर से।

नि र्ण य **दिनांक – 22.10.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 469, 470, 471, 472, 525 लगायत 540, 605, 606 किता 22 कुल रकबा 26.70 है0 वाके ग्राम ठेहट पटवार हल्का रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा 1/80 की खातेदारी धोलाराम पुत्र काना के नाम से दर्ज है अर्थात् राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से राजेन्द्र प्रसाद के स्थान पर धोलाराम दर्ज हो रखा है। उक्त वर्णित भूमियों मे अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र भामाशाह कार्ड बैंक रिकार्ड विघालय रिकार्ड आधार कार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कानाराम ही दर्ज है जो सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से राजेन्द्र प्रसाद के स्थान पर धोलाराम दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत रूपगढ द्वारा भी यह प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है कि उक्त धोलाराम व राजेन्द्र प्रसाद ग्राम ठेहट में एक की व्यक्ति के नाम इसके अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी कई बार बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने नाम को संशोधित करवाने हेतु निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुई है। वाद कारण अर्सा करिब 8–10 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्त कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने से इनकार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी को कृषि भूमि खसरा नम्बर 469, 470, 471, 472, 525 लगायत 540, 605, 606 किता 22 कुल रकबा 26.70 है0 वाके ग्राम ठेहट पटवार हल्का रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में प्रार्थी का नाम धोलाराम पुत्र काना को

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही व वास्तिविक रूप से राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कानाराम संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का नाम धोलाराम पुत्र काना को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही व वास्तिविक रूप से राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कानाराम संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम ठेहट में कानाराम की विरासत होने पर धोलाराम पुत्र कानाराम जमाबंदी में दर्ज हुआ है जो आदिनांक तक है। आवेदक के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र जन आधार कार्ड राशन कार्ड में आवेदक का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी ठेहट दर्ज है। मौतविराम से पुछताछ करने पर बताया गया कि धोलाराम पुत्र कानाराम एंव राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कानाराम जाट दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है बचपन में धोलाराम के नाम से जानते थें बाद में राजेन्द्र प्रसाद नाम रख दिया आवेदक का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कानाराम दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 469, 470, 471, 472, 525 लगायत 540, 605, 606 किता 22 कुल रकबा 26.70 है0 वाके ग्राम ठेहट पटवार हल्का रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में प्रार्थी का नाम धोलाराम पुत्र काना को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही व वास्तिविक रूप से राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कानाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ